न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/154

1. मांगीलाल पुत्र प्रताप जी जाति गुर्जर ।
2. भारमल पुत्र प्रताप जी जाति गुर्जर ।
3. कालूलाल आत्मज श्री प्रताप जी जाति गुर्जर ।
4. राजू आत्मज श्री प्रताप जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लखवा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरमान अली, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि सरकारी सिवायचक पडत भूमि खसरा नम्बर 209 मिन, 210 मिन, 211 मिन, 212 मिन वाके ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा में स्थित है । बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 313 रकबा 2.75 एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 0.11 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि पर वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में काबिज काश्त करते रहे उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण उक्त भूमि पर पिछले 30 वर्षों से काबिज काश्त हैं । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताकत के बल पर वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में मजाहमत एवं मदाखलत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक पडत भूमि थी जिस पर अपीलान्ट के पिता का उनके जीवनकाल तक कब्जा रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण अपीलान्ट का पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त है। वादीगण अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता का उनके जीवनकाल तक कब्जा रहा और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि नाकाबिल काश्त थी । इसे अपीलान्ट के पिता ने काफी मेहनत करके तथा काफी रकम खर्च करके काबिल काश्त बनया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर काफी रकम खर्च करके ट्यूबवेल लगाया है तथा उक्त ट्यूबवेल से भूमि की सिंचाई की जा रही है । अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है । उक्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रसत आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है जिस पर प्रतिकूल कब्जें के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 बहाल रखा जावे ।

ननें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादग्रस्त आराजी मुताबिक जवाब सरकार वर्तमान में वन विभाग के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा की प्रार्थना की है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिवादित किया गया है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

10. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी मुताबिक जवाब सरकार वन विभाग के खाते में दर्ज है जिस पर विशेष रूप से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/154

1. मांगीलाल पुत्र प्रताप जी जाति गुर्जर ।
2. भारमल पुत्र प्रताप जी जाति गुर्जर ।
3. कालूलाल आत्मज श्री प्रताप जी जाति गुर्जर ।
4. राजू आत्मज श्री प्रताप जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लखवा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्या: 200/दावा/2009

1. मांगीलाल पुत्र प्रताप जी जाति गुर्जर ।
2. भारमल पुत्र प्रताप जी जाति गुर्जर ।
3. कालूलाल आत्मज श्री प्रताप जी जाति गुर्जर ।
4. राजू आत्मज श्री प्रताप जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम लखवा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 03.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अरमान अली एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2014 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा